UPHR010064092022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2686 सन् 2022
सी.एन.आर.यू.पी.एच.आर.01006409.2022
आई०डी० नम्बर–यू0 पी0–6073

आदेश पुत्र बटेश्वर निवासी ग्राम परेली थाना पाली तहसील शाहाबाद जिला हरदोई

...........आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी/अभियोगी

<u>दिनांक 17.10.2022</u>

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त आदेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 181/2017, अन्तर्गत धारा 363,366 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना पाली, जिला हरदोई में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आधार लिया गया है कि वह इस मुकदमे में पूर्व में जमानत पर था। बीमार हो जाने के कारण न्यायालय हाजिर नही आ सका और अपने अधिवक्ता को भी सूचित नही कर सका । परिणामस्वरूप प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानतीय बारण्ट जारी कर दिया गया जिस पर जानकारी होने पर प्रार्थी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और वह जिला कारागार में निरूद्ध है। उसकी गलती क्षमा योग्य है।उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय मे न तो विचाराधीन है और नही निरस्त हुआ है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

इस मामले में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह बीमार होने के कारण न्यायालय मे उपस्थित नही आ सका था। अभियुक्त दिनाक 30.09.2022 से कारागार मे निरूद्ध है। मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है।

Digitally signed by Sunil Kumar Singh
Date: 2022.10.18 10:34:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आदेश का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50000/–(पचास हजार रूपये) रूपया का निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 17.10.2022

(सुनील कुमार सिंह द्वितीय)
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
हरदोई।